

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
कोच्ची -15
(कार्मिक एवं प्रशासन विभाग)

सं. पीएण्डए /6(137)/20

19 अगस्त 2020

शिक्षता (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत स्नातक/ तकनीशियन (डिप्लोमा)
प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अधिसूचना

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल), भारत सरकार की एक सूचीबद्ध प्रीमियर मिनिरत्न कंपनी शिक्षता (संशोधन) अधिनियम 1973 के तहत एक साल की शिक्षता प्रशिक्षण के लिए इंजीनियरिंग में योग्य स्नातक / डिप्लोमा धारकों और वाणिज्यिक कार्य में डिप्लोमा धारकों से **ऑनलाइन आवेदन** आमंत्रित करता है।

I. क. श्रेणी- I स्नातक प्रशिक्षु :-

क्र.सं.	शाखा	सीटों की संख्या	वृत्तिका प्रति महीने
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	12	₹ 12,000/-
2	मेकानिकल इंजीनियरिंग	20	
3	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	5	
4	सिविल इंजीनियरिंग	14	
5	कंप्यूटर विज्ञान/ कंप्यूटर अनुप्रयोग/ कंप्यूटर इंजीनियरिंग/ सूचना प्रौद्योगिकी	4	
6	सुरक्षा इंजीनियरिंग	4	
7	समुद्री इंजीनियरिंग	4	
8	नौवास्तुविद् और पोत निर्माण	4	

ख .श्रेणी- II तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु :-

क्र.सं.	शाखा	सीटों की संख्या	प्रति महीने वृत्तिका
1	इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग	15	₹ 10,200/-
2	मेकानिकल इंजीनियरिंग	20	
3	इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग	8	
4	इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग	4	
5	सिविल इंजीनियरिंग	10	
6	कंप्यूटर इंजीनियरिंग	5	
7	वाणिज्यिक कार्य	10	

II. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता :

क. श्रेणी- I स्नातक प्रशिक्षु :-

- संगत शाखा में एक सांविधिक विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में उपाधि ।
- संगत शाखा में संसद के अधिनियम द्वारा इस तरह की डिग्री प्रदान करने वाले एक संस्थान से इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी में उपाधि ।
- उपर्युक्त के समतुल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक निकायों की स्नातक परीक्षा।
- कुछ विश्वविद्यालय/ संस्थान/परीक्षा बोर्ड श्रेणी या अंक की प्रतिशतता न देकर कुल ग्रेड पोइन्ट (उदा: सीजीपीए/ ओजीपीए/ सीपीआई आदि) देते हैं। विश्वविद्यालय/ संस्थान/परीक्षा बोर्ड उम्मीदवारों की अंक सूची में कुल ग्रेड पोइन्ट की श्रेणी और/ या अंक की प्रतिशतता के परिवर्तन के लिए मानक निर्धारित करने के मामले में उसी को स्वीकार किया जाएगा। फिर भी जहाँ विश्वविद्यालय/ संस्थान कुल ग्रेड पोइन्ट की श्रेणी और/ या अंक की प्रतिशतता के परिवर्तन के लिए मानक प्रदान नहीं करता है, वहाँ अपेक्षित अंक की प्रतिशतता प्राप्त करने के लिए कुल ग्रेड पोइन्ट को 10 गुणा किया जाएगा।

ख . श्रेणी – II तकनीशियन (डिप्लोमा) प्रशिक्षु :-

- संगत शाखा में राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य परिषद या तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या तकनीकी में डिप्लोमा।
- संगत शाखा में विश्वविद्यालय द्वारा दी गई इंजीनियरिंग या तकनीकी में डिप्लोमा।
- उपर्युक्त के समतुल्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से दी गई इंजीनियरिंग या तकनीकी में डिप्लोमा।

ग. किसी भी निर्धारित योग्यताओं के समतुल्य योग्यताएं रखनेवाले उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी तुल्यता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना, उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।

III. आयु: आयु सीमा शिक्षुता नियमों के अनुसार अनुवर्तित करेगा।

IV. रिक्तियों का आरक्षण: अनुसूचित जाति (अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव)/ ईडब्ल्यूएस/ बैंचमार्क दिव्यांगजन उम्मीदवारों (पीडब्ल्यूबीडी) को लागू आरक्षण पर भारत सरकार के निर्देशों को सख्ती से अनुवर्तित करेगा।

V. न्यूनतम शारीरिक योग्यता: शिक्षु नियम 1992 के खंड 4 में निर्धारित अनुसार और इसका संशोधन यदि कोई हो तो ।

VI. प्रशिक्षण की अवधि: शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि एक साल के लिए होगी।

VII. पूर्व प्रशिक्षण: उम्मीदवार जो पहले ही या वर्तमान में किसी भी सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र या निजी औद्योगिक संगठन में शिक्षुता (संशोधन) अधिनियम 1973 के अधीन शिक्षुता पा चुका है या पा रहा है, वे आवेदन करने के लिए योग्य नहीं हैं।

VIII. चयन की प्रक्रिया:

- क. केवल केरल में अधिवासित उम्मीदवारों पर ही विचार किया जाएगा। संबंधित शाखाओं के लिए लागू अनुसार मूल निर्धारित योग्यता में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर चयन के लिए उम्मीदवारों को लघुसूचीगत किया जाएगा। यदि निर्धारित योग्यता में एक से अधिक उम्मीदवार द्वारा समान अंक प्रतिशत प्राप्त किए जाते हैं, तो, आयु में वरिष्ठता के आधार पर सापेक्ष योग्यता तय की जाएगी।
- ख. चयन के पूर्व प्रमाणपत्र सत्यापन के लिए लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सत्यापन के लिए आयु, योग्यता, जाति, दिव्यांगजता (यदि कोई हो) आदि की ओर मूल प्रमाणपत्र और इन प्रमाणपत्रों की स्वयं-साक्ष्यांकित प्रतियां प्रस्तुत करना चाहिए और इन मूल प्रमाणपत्रों के आधार पर उनकी उम्मीदवारी पर विचार की जाएगी। मूल प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विफल होने के मामले में, उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- ग. उम्मीदवार जो सफलतापूर्वक प्रमाणपत्र सत्यापन पूरा कर लेते हैं, उन्हें चिकित्सा योग्यता के अधीन, मेरिट/ आरक्षण के क्रम में अधिसूचित सीटों के सामने चयन के लिए अस्थायी रूप में विचार किया जाएगा।

IX. यात्रा भत्ता: शिक्षता प्रशिक्षण अवधि के दौरान यात्रा भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

X. आवास: शिक्षता प्रशिक्षण अवधि के दौरान सीएसएल द्वारा आवास प्रदान नहीं किया जाएगा।

XI. आवेदन शुल्क:

शून्य

XII. पंजीकरण और आवेदन की प्रस्तुति

- क. उम्मीदवारों को पहले एनएटीएस (राष्ट्रीय शिक्षता प्रशिक्षण योजना) के वेब पोर्टल में नामांकन / पंजीकरण हेतु नीचे दिए गए लिंक का उपयोग करके प्रशिक्षु के रूप में पंजीकरण करना आवश्यक है। <https://portal.mhrdnats.gov.in/boat/commonRedirect/registermenunew/registermenunew.action> एनएटीएस पोर्टल में प्रशिक्षु के रूप में छात्र नामांकन की प्रक्रिया इस विज्ञापन के साथ दिए गए **अनुबंध - I** में देखा जा सकता है।
- ख. प्रशिक्षुओं के रूप में नामांकन / पंजीकरण पूरा करने के बाद उम्मीदवारों को सीएसएल द्वारा निर्धारित सीटों के सामने एनएटीएस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। (एनएटीएस पोर्टल में **कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड** की आईडी संख्या / पंजीकरण संख्या **SKLERC000007** है।) सीएसएल में शिक्षता प्रशिक्षण के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया इस विज्ञापन के साथ दिए गए **अनुबंध - II** में देखा जा सकता है।
- ग. एनएटीएस पोर्टल से संबंधित किसी भी मुद्दे/ प्रश्नों के मामले में आप शिक्षता प्रशिक्षण बोर्ड (बीओएटी), दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई से संपर्क कर सकते हैं, चूंकि एनएटीएस पोर्टल बीओएटी द्वारा स्थापित किया गया है। बीओएटी, दक्षिणी क्षेत्र का संपर्क विवरण <http://portal.mhrdnats.gov.in/contact-us> वेबसाइट पर उपलब्ध है।

XIII. सामान्य

- (i) उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पहले यह सुनिश्चित करें कि वे पदों के लिए रिक्ति अधिसूचना के अनुसार पात्रता की अपेक्षाएं पूरा करते हैं।
- (ii) शिपयार्ड को उनके आवेदन प्रपत्र में सूचितानुसार शैक्षिक योग्यता/अनुभव/ अन्य अधिसूचित योग्यता अपेक्षाओं के सबूत में उम्मीदवारों से अन्य कोई अतिरिक्त दस्तावेज़ी सबूत मांगने का अधिकार है, और ऐसे प्रश्नों की सूचना एवं उत्तर ईमेल apprenticeship@cochinshipyard.com द्वारा होना चाहिए। फिर भी, कोचीन शिपयार्ड निर्धारित तिथि एवं समय पर ऐसे ई-मेलों की किसी देरी/ गैर- प्राप्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों के उत्तर निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा, और आगे कोई पत्राचार इस संबंध में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा।
- (iii) अपात्रता के मामले में उम्मीदवारी के निरसन के संबंध में पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- (iv) बुलावा पत्र लघुसूचीगत उम्मीदवारों को डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उन्हें ईमेल/ एसएमएस/ सीएसएल वेबसाइट www.cochinshipyard.com द्वारा बुलावा पत्र डाउनलोड करने के लिए सूचित किया जाएगा। चयन की अनुसूची एसएमएस/ ईमेल/ सीएसएल वेबसाइट (कैरियर पृष्ठ) के माध्यम से लघुसूचीगत उम्मीदवारों को सूचित किया जाएगा।
- (v) केवल एनएटीएस पोर्टल द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रस्तुति और बुलावा पत्र जारी करना उम्मीदवार की उम्मीदवारी की स्वीकृति का कोई अधिकार नहीं देगा या पात्रता मानदंड पूरा करने की अभिस्वीकृति के रूप में अनुमान नहीं किया जा सकेगा।
- (vi) चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति चरित्र व पूर्ववृत्त के सत्यापन और यदि लागू हो, तो जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन के अधीन होगी।
- (vii) शिक्षुता अवधि के पूरा होने पर, सीएसएल को ऐसे शिक्षुओं को रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी और न ही शिक्षुता के पूरा होने के आधार पर एक शिक्षु रोजगार के लिए दावा कर सकता है।
- (viii) रैंक सूची सभी विषयों हेतु बनाए रखा जाएगा और इसमें शामिल होने की तिथि भीतर रैंक सूची से कोई उम्मीदवार के शामिल न होने के कारण होनेवाली रिक्तता की स्थिति में संचालित की जाएगी जैसा कि उम्मीदवार को जारी किए गए नियुक्ति के प्रस्ताव में निर्धारित किया गया है या जहाँ एक उम्मीदवार शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए शामिल हो जाता है और सीएसएल में शामिल होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के दौरान किसी व्यक्ति की मृत्यु होने या पद से इस्तीफा दे देता है। रैंक सूची की वैधता, परिणाम के प्रकाशन की तारीख से तीन महीने तक या उम्मीदवारों को जारी किए गए नियुक्ति प्रस्ताव में निर्धारित नियुक्ति की तिथि तक, जो भी पहले हो, जब तक कि उस पद के लिए नई अधिसूचना जारी नहीं की जाती है, तक होगी। ऊपर बताई गई रिक्ति को एक नई रिक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा और इस अधिसूचना के सामने भरे गए पदों की वास्तविक संख्या किसी भी परिस्थिति में इस अधिसूचना में इंगित रिक्तियों की संख्या से अधिक नहीं होगी।

- (ix) उपरोक्त या किसी अन्य शर्तों के बावजूद कोचीन शिपयार्ड को अधिसूचित रिक्तियां न भरने का भी अधिकार होगा। इसके अलावा अधिसूचित रिक्तियों को भरने हेतु रैंक सूची में उम्मीदवारों की उपयुक्तता, परियोजनाओं की उपलब्धता और नौकरी की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा। कोचीन शिपयार्ड को यदि अपेक्षित है तो, सूचना के बिना अथवा उसके लिए कोई भी कारण नियत किए बिना भर्ती प्रक्रियाएं सीमित करने/ बदलने/ रद्द करने / परिवर्तन करने का अधिकार है।
- (x) यदि किसी स्थिति में, कोई सूचित कार्य असत्य/ गलत पाया गया या उम्मीदवार योग्यता अपेक्षाओं को पूरा न करते हैं तो, बिना सूचना के उम्मीदवारी/ नियुक्ति, रद्द / अस्वीकृत की जाएगी।
- (xi) इस विज्ञापन से व्युत्पन्न कोई दावा अथवा विवाद के संबंध में किसी वैध कार्रवाई और/ अथवा इस संबंध में आवेदन केवल एर्णाकुलम के अधिकार क्षेत्र होने वाले न्यायालय / ट्रिब्यूनल/मंच में संस्थापित कर सकता है और ऐसे न्यायालय व प्राधिकरण को एकमात्र तथा विशिष्ट अधिकार क्षेत्र होगा।
- (xii) विज्ञापन में कोई आशोधन, संशोधन अथवा परिवर्धन केवल सीएसएल वेबसाइट में दी जाएगी।
- (xiii) आगे अन्य कोई स्पष्टीकरण के लिए, कृपया ईमेल apprenticeship@cochinshipyard.com के ज़रिए संपर्क करें।

XIV. महत्वपूर्ण तिथियां:

ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत	:	19.08.2020
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि	:	08.09.2020

“किसी प्रकार की मतार्थना अयोग्यता मानी जाएगी।”

“केवल भारतवासी आवेदन करें।”

ह/-
मुख्य महाप्रबंधक (मा.सं. व प्रशिक्षण)